



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072022-237449
CG-DL-E-22072022-237449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3140]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2022/आषाढ़ 30, 1944

No. 3140]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2022/ASHADHA 30, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2022

का.आ. 3301(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4293(अ), तारीख 26 नवम्बर 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र, क्रमांक 3783 तारीख 1 दिसम्बर 2020, एवं भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के शुद्धिपत्र- संख्या का.आ. 1059(अ), तारीख 9 मार्च 2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र, क्रमांक 1027 से तारीख 10 मार्च 2022, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में "कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना, अनुभाग: प्रस्तावित पाइपलाइन पिपावाव से आई०एच०बी० लिमिटेड डुमाड" अंतर्गत तालुका सावली, जिला वडोदरा में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु आई०एच०बी० लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 14-अप्रैल, 2021 से 15-अप्रैल, 2021 तक उपलब्ध करा की गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी लिमिटेड पूर्णतयः उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील:- सावली	जिला:- वड़ोदरा		राज्य:-गुजरात		
मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं. (प्लोट सं.)	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
खांडी	नदी		00	16	74
	2	1	00	03	88
	3	2	00	05	23
	कच्चा रास्ता		00	00	65
	4	1	00	05	68
	4	2/अ	00	02	80
	4	2/ब	00	02	64
	93		00	08	29
	नाला		00	00	93
	नाला		00	01	27
	7	1पैकी	00	03	93
	नाला		00	02	24
पोइचा (रा)	नाला		00	00	80
	78	1	00	06	23
	78	2	00	08	32
	500	13पैकी1	00	01	02
	नाला		00	01	03
	नाला		00	02	59
	500	13पैकी2	00	06	70

पोइचा (रा)	500	12पैकी1	00	11	64
(जारी...)	500	12पैकी2	00	08	31
	48		00	08	64
	46	1	00	07	06
	500	10पैकी1	00	16	69
	45	1	00	04	23
	45	2	00	04	41
	44	2	00	00	01
	43	पैकी1	00	07	81
	रोड़		00	00	98
	42	3/अ/पैकी1	00	11	64
	रोड़		00	01	03
	41	1पैकी	00	06	70
	41-रोड़	2पैकी	00	01	30
	35	पैकी1पैकी	00	00	06
	42	2पैकी	00	08	14
	कच्चा रास्ता		00	00	86
	42-रोड़	1पैकी	00	00	48
	42-रोड़	3/अ/पैकी3	00	02	06
	42-रोड़	1पैकी	00	02	26
	कच्चा रास्ता		00	01	84
	34-रोड़	पैकी	00	03	35
	34-रोड़	पैकी	00	00	67
	34	पैकी	00	01	94
	कच्चा रास्ता		00	00	90
	33		00	15	23
	32		00	12	69
	22	1	00	07	63
	23	1	00	10	83
	कच्चा रास्ता		00	00	51
	159		00	06	44
	167	2	00	01	79

पोइचा (रा)	168	2पैकी	00	00	11
(जारी...)	179	1	00	06	86
	170	ब2	00	00	04
	177		00	04	12
	176	1	00	03	18
	176	2/पैकी2	00	00	01

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2019-ओआर-1/ई-32563]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2022

S.O. 3301(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4293(E) dated the 26 November 2020, published in the Gazette of India No-3783 dated 1st December, 2020, and erratum of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural S.O. 1059(E) dated 9th March 2022 published in Gazette of India No.- 1027 dated the 10th March, 2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla - Gorakhpur LPG Pipeline Project , Section:- Pipavav to IHB Limited Dumad” for the transportation of LPG in Vadodara District in the State of Gujarat by IHB Limited;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owners from 14th April, 2021 to 15th April, 2021;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of said Act submitted report to the Central Government;

And Whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil:-Savli	District:- Vadodara		State :- Gujarat		
Mouja / Village	Survey/Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Khandi	River		00	16	74
	2	1	00	03	88

Khandi	3	2	00	05	23
(Contd...)	Cart Track		00	00	65
	4	1	00	05	68
	4	2/A	00	02	80
	4	2/B	00	02	64
	93		00	08	29
	Nala		00	00	93
	Nala		00	01	27
	7	1P	00	03	93
	Nala		00	02	24
Poicha (Raniya)	Nala		00	00	80
	78	1	00	06	23
	78	2	00	08	32
	500	13P1	00	01	02
	Nala		00	01	03
	Nala		00	02	59
	500	13P2	00	06	70
	500	12P1	00	11	64
	500	12P2	00	08	31
	48		00	08	64
	46	1	00	07	06
	500	10P1	00	16	69
	45	1	00	04	23
	45	2	00	04	41
	44	2	00	00	01
	43	P1	00	07	81
	RCC Road		00	00	98
	42	3/A/P1	00	11	64
	ASP Road		00	01	03
	41	1P	00	06	70
	41-Road	2P	00	01	30
	35	P1P	00	00	06
	42	2P	00	08	14
	Cart Track		00	00	86
	42-Road	1P	00	00	48
	42 -Road	3/A/P3	00	02	06

Poicha (Raniya)	42-Road	1P	00	02	26
(Contd...)	Cart Track		00	01	84
	34-Road	P	00	03	35
	34-Road	P	00	00	67
	34	P	00	01	94
	Cart Track		00	00	90
	33		00	15	23
	32		00	12	69
	22	1	00	07	63
	23	1	00	10	83
	Cart Track		00	00	51
	159		00	06	44
	167	2	00	01	79
	168	2P	00	00	11
	179	1	00	06	86
	170	B2	00	00	04
	177		00	04	12
	176	1	00	03	18
	176	2/P2	00	00	01

[F. No. R-11025(15)/11/2019-OR-1/E-32563]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.